रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062024-254545
CG-DL-E-05062024-254545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2024/ज्येष्ठ 14, 1946
No. 287]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2024/JYAISHTHA 14, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून 2024

सा.का.नि. 308(अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय में ट्रेड्समैन संवर्ग के अंतर्गत हवलदार (रसोइया) और हवलदार (जल वाहक) के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ट्रेड्समैन संवर्ग, हवलदार (रसोइया) और हवलदार (जल वाहक), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

   (ख) "महानिदेशक" से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है;

   (ग) "शेप-I" ऐसे चिकित्सा श्रेणी को निर्दिष्ट करता है जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2008 के स्थायी आदेश संख्या 04, तारीख 15 दिसंबर, 2008 तथा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों में विनिर्दिष्ट है।

(2) इसमें प्रयुक्त उन शब्दों और पदों के जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होंगे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में उनको समनुदेशित किया गया है ।

3. लागू होना.- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता- वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. अनुरक्षण.- खाली रह गए प्रत्येक पद और उसके बाद उत्पन्न होने वाली प्रत्येक रिक्ति को उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा ।

8. ज्येष्ठता.- ज्येष्ठता, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

9. गैर-भारतीय नागरिकों की अपात्रता.- वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल अथवा भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से वर्जित नहीं किया जाएगा ।

10. अधिवर्षिता.- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिस माह में साठ वर्ष की आयु पूरा करता/करती है, उस महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जैसा विहित किया जाए:

परंतु वह व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख महीने की पहली तारीख को है, वह 60 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्ति होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के पश्चात सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा ।

11. निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

12. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

13. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. हवलदार (रसोइया)	*1764 (2024) [पुरुष-1740 और महिला-24] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-04 (रु. 25500-81100)	अचयन।

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (क) सिपाही (रसोइया) जिसने वेतन मैट्रिक्स (रु. 21700-69100) में स्तर-3 में उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) कार्मिक का (i) मेडिकल श्रेणी शेप-I हो; और (ii) सेवा का अच्छा रिकॉर्ड हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है या प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष; 2. उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. हवलदार (जल वाहक)	*951 (2024) [पुरुष-913 और महिला-38] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-04 (रु. 25500-81100)	अचयन।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (क) सिपाही (जल वाहक) जिसने वेतन मैट्रिक्स (रु. 21700-69100) में स्तर-3 में उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) कार्मिक का (i) मेडिकल श्रेणी शेप-I हो; और (ii) सेवा का अच्छा रिकॉर्ड हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है या प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष; 2. उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. आर-नौ-1/2024-संगठन(ट्रेड्समैन)]

जी. पार्थसारथी, संयुक्त सचिव (पी-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2024

G.S.R. 308(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Head Constable (Cook) and Head Constable (Water Carrier) under Tradesmen Cadre in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Tradesmen Cadre, Head Constable (Cook) and Head Constable (Water Carrier), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "competent authority" means the appointing authority or authority referred to in the Central Reserve Police Force Act, 1949, and the Central Reserve Police Force Rules, 1955;

(b) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

(c) "SHAPE-I" refers to the medical category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008, dated the 15th December, 2008, and subsequent amendments issued by the Central Government from time to time.

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. Application.- These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Maintenance.- Every post remained unfilled and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions as specified in the said Schedule and the procedure as may be prescribed by the Central Government from time to time.

8. Seniority.- Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955, and general instructions issued by the Central Government from time to time.

9. Ineligibility of non-citizens of India.- No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. Superannuation.- (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time :

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years or superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

11. Interpretation.- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

12. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and others special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Head Constable (Cook).	*1764 (2024) [Male- 1740 and Female-24] *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Constable (Cook) in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the grade; and (b) The candidate shall be,- (i) in Medical category SHAPE-I; and (ii) has good record of service. Note:-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service or being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General or Commandant, Central Reserve Police Force-Chairperson ; 2. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force-Member ; 3. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force-Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable (Water Carrier).	*951 (2024) [Male-913 and Female-38] *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.

(a) Constable (Water Carrier) in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the grade; and (b) The candidate shall be,- (i) in Medical category SHAPE-I; and (ii) has good record of service. Note- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service or being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General or Commandant, Central Reserve Police Force- Chairperson ; 2. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force- Member ; 3. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force- Member.	

[F. No. R.IX-1/2024-Org (Tradesmen)]

G. PARTHASARATHI, Joint Secy. (P.II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.06.05 11:12:01 +05'30'